भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 4789

31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

एआरएचसी के अंतर्गत खाली घर

4789. श्री राहुल रमेश शेवाले:

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन खाली घरों की पहचान की है जहाँ मॉडल-I के लिए किफायती किराया आवासीय परिसरों (एआरएचसी) का उपयोग किया जायेगा;
(ख) यदि हां, तो ऐसे घरों की वर्ष-वार और राज्य/संघराज्यक्षेत्र वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने एआरएचसी मॉडल-II के अंतर्गत निर्मित और प्रचालित किए जाने वाले आवासों की संख्या की पहचान की है और यदि हां, तो ऐसे आवासों की वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने इससे लाभान्वित होने वाले प्रवासियों के लिए कोई शहर-वार लक्ष्य निर्धारित किया है;
(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने एआरएचसी के आबंटित/निर्मित होने से पहले इसका आवश्यकता-आधारित मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने एआरएचसी मॉडल-1 के अंतर्गत लिए जाने वाले किराए का आकलन या गणना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है; और
(छ) एआरएचसी मॉडल-I और II के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई है?

उत्तर

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के निकट सम्मानजनक आवास प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित दो मॉडलों में लागू की जा रही है:

i. मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी

वित्तपोषित रिक्त आवासों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करके उपयोग करना,

ii. मॉडल-2: सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध रिक्त भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

योजना के मॉडल-1 के तहत, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेएनएनयूआरएम और आरएवाई के तहत निर्मित कुल 83,534 मौजूदा सरकारी वित्त पोषित रिक्त आवासों में से, 5,478 आवासों को किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) में परिवर्तित किया गया है और देश भर में 7,483 इकाइयां एआरएचसी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया और पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): योजना के मॉडल-2 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सार्वजनिक/निजी संस्थाओं से अपनी उपलब्ध रिक्त भूमि पर एआरएचसी के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु अब तक तीन बार अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। प्रत्युत्तर में अब तक 78,885 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। मॉडल-2 के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) और (ड.): जी, नहीं। शहर-वार कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हैं। यह मांग आधारित योजना है।

(च): जी, नहीं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एआरएचसी का किफायती किराया स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाता है।

(छ): योजना के मॉडल -1 के तहत, मौजूदा भवनों को रहने योग्य बनाने के लिए मरम्मत/पुनर्विकसित करने के लिए आवश्यक निवेश रियायतकर्ता द्वारा किया जाएगा जो कि रियायत अवधि अर्थात 25 वर्षों के दौरान किराये की आय के माध्यम से वसूल किया जाएगा। मॉडल-2 के तहत, एआरएचसी के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक निवेश सार्वजनिक/निजी संस्था द्वारा किया जाएगा, जिसे 25 वर्ष की परियोजना अवधि के दौरान किराये की आय के माध्यम से वसूल किया जाएगा। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवीन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के रूप में एक अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया है। अब तक, मंत्रालय द्वारा 78,885 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपये के टीआईजी को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 83.26 करोड़ रुपये भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को आगे धनराशि जारी करने के लिए दिए गए हैं।

******

दिनांक 31.03.2022 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4789 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. योजना के मॉडल-1 के तहत जेएनएनयूआरएम और आरएवाई के तहत निर्मित एआरएचसी में परिवर्तित किए जाने वाले मौजूदा सरकारी वित्त पोषित रिक्त आवासों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एआरएचसी में परिवर्तित किए जाने वाले सरकारी वित्त पोषित रिक्त आवासों की संख्या	एआरएचसी में परिवर्तित किए गए आवासों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	752	-
2.	चंडीगढ़	2,195	2,195
3.	दिल्ली	29,112	-
4.	गुजरात	4,414	2,467
5.	हरियाणा	2,545	-
6.	हिमाचल प्रदेश	314	-
7.	मध्य प्रदेश	364	-
8.	महाराष्ट्र	32,345	-
9.	नागालैंड	664	-
10.	राजस्थान	4,884	480
11.	उत्तर प्रदेश	5,232	-
12.	उत्तराखंड	377	-
13.	जम्मू और कश्मीर	336	336
योग		**83,534**	**5,478**

ख. योजना के मॉडल -2 के तहत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाने हेतु स्वीकृत एआरएचसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्रमांक	शहर/राज्य का नाम	संस्था का नाम	इकाइयों की कुल संख्या
1.	श्रीपेरुम्बुदुर, तमिलनाडु	एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18,112
2.	श्रीपेरुम्बुदुर, तमिलनाडु	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	3,969
3.	होसुर, तमिलनाडु	टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	11,500
4.	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम	18,720
5.	चेन्नई, तमिलनाडु	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,040

6.	रायपुर, छत्तीसगढ़	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222
7.	कामपुर टाउन, असम	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,222
8.	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,112
9.	सूरत, गुजरात	मित्सुमी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	453
10.	चेन्नई, तमिलनाडु	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	5,045
11.	निज़ामपेट, तेलंगाना	सिवानी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	14,490
योग			**78,885**

***